



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

परीक्षा-2025 की संवीक्षा एवम् उत्तर-पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु आवेदन

1. परीक्षा का नाम (मा./उ.मा./प्रवे./व.उ./व्या.)

2. परीक्षार्थी का नामांक

3. परीक्षार्थी का नाम

4. पिता का नाम

5. आवेदित विषय (आवेदन हेतु एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा, अतः एक बार में वांछित सभी विषय भरें)

क्र.सं.	विषय का नाम मय सैद्धान्तिक अथवा प्रायोगिक	Paper Code Th./Pract.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. पहचान हेतु स्वयं की सत्यापित आई.डी. अपलोड करें.
(इनमें से कोई एक आधार कार्ड, पेन कार्ड अथवा वोटर कार्ड)

7. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

1	आधार कार्ड नं.	
2	पैन कार्ड नं.	
3	वोटर कार्ड नं.	
Tehsil/Dist.		
पिन कोड -		

8. मोबाईल नम्बर *

9. ई-मेल आई.डी. *

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ/विवरण मेरी जानकारी अनुसार पूर्णतया सही एवम् सत्य है। मैंने स्वयं ने परीक्षा दी है एवं मुझे उत्तर-पुस्तिका की स्कैन प्रति की आवश्यकता है। किसी अन्य अभ्यर्थी के लिये आवेदन नहीं किया है। मैंने नियमों/निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन किया है जिन्हें स्वीकार करता/करती हूँ।

संवीक्षा नियम/शर्तों के लिए यहाँ लिंक करें।

नोट :-

- उत्तर-पुस्तिका की स्कैन प्रति एवं आवेदक की आपत्तियों का निस्तारण ऑनलाईन ही किया जावेगा। अतः आवेदक अपना ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. आवश्यक रूप से दें, अपूर्ण/गलत होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
- सभी विषयों में आपत्ति हेतु आवेदन ऑनलाईन पूर्व प्रदत्त आई.डी. के द्वारा संवीक्षा परिणाम की सूचना का SMS/E-mail भेजे जाने की तिथि से 05 दिवस की अवधि में करना होगा।
- पुनःजांच (Re-examination) हेतु भी आवेदन ऑनलाईन पूर्व प्रदत्त आई.डी. के द्वारा संवीक्षा परिणाम की सूचना का SMS/ E-mail भेजे जाने की तिथि से 05 दिवस की अवधि में करना होगा। पुनःजांच (Re-examination) केवल माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में करवाई जा सकती है।
- निर्धारित अवधि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

Accept

Decline



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025-संवीक्षा/आपत्ति/उत्तर पुस्तिका स्कैन प्रति प्राप्त करने हेतु व माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में पुनः जांच (Re-Examination) के विषय में नियम/निर्देश/शर्तें

1. **आवेदन प्रक्रिया** – अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध संवीक्षा आवेदन-पत्र निकटतम ई-मित्र केन्द्र/अभ्यर्थी स्वयं के स्तर पर बोर्ड वेबसाइट पर 'SCRUTINY 2025' लिंक से नियत तिथि तक (स्वप्रमाणित आई.डी. अपलोड कर) ऑनलाईन निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन कर सकता है। परीक्षार्थी स्वयं के लिये ही आवेदन करें, अन्य किसी के लिये आवेदन करना दण्डनीय अपराध माना जावेगा।
2. उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय/व्यावसायिक मुख्य परीक्षा-2025 में उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा/स्कैन प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि से **07 दिवस** की अवधि में सामान्य शुल्क रु. 400/- एवं उसके पश्चात आगामी **03 दिवस** में विलम्ब शुल्क रु. 400/- (कुल रुपये 800/- विलम्ब शुल्क सहित) प्रति विषय/प्रति उत्तर-पुस्तिका ई-मित्र पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप परीक्षार्थियों के सुविधार्थ बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। **डाक से आवेदन-पत्र/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।** परीक्षार्थी को किसी विषय की प्रायोगिक परीक्षा में उत्तर-पुस्तिका की संवीक्षा करानी है तो उसका पृथक से निर्धारित शुल्क जमा कराकर आवेदन में स्पष्ट उल्लेखित करें। आवेदन-पत्र के साथ मूल अंकतालिका/इन्टरनेट से प्राप्त अंकतालिका की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
3. ई-मित्र से आवेदन करने पर परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित ई-मित्र सेवा शुल्क भी देय होगा।
4. **अति महत्वपूर्ण** – प्रत्येक परीक्षार्थी को आवेदन हेतु एक ही अवसर देय होगा, अर्थात् परीक्षार्थी संवीक्षा हेतु केवल एक बार ही आवेदन कर सकेगा। अतः परीक्षार्थी स्वयं भली-भांति सुनिश्चित होकर एक ही आवेदन में उन सभी विषयों का उल्लेख करें जिनमें वह संवीक्षा कराना चाहता है। परीक्षार्थी चाहे तो सभी विषयों की संवीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।
5. अभ्यर्थी आवेदन करते समय 'SUBMIT' करने से पूर्व अंकित सभी प्रविष्टियों की गहनता से जांच कर लें। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अपनी एक आई.डी. अपलोड करें। **आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी बोर्ड को नहीं भिजवानी है।**
6. ऑनलाईन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां मय मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी., पता व पिन कोड आदि आवश्यक रूप से पूर्ण करें। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। आवेदन-पत्र के निस्तारण के बाद संवीक्षा परिणाम एवम् उत्तर-पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाईन भेजी जाकर उसके मोबाईल पर इस आशय की सूचना व 'Password' भेजा जावेगा, जिसके आधार पर 05 दिवस में परिणाम/उत्तर-पुस्तिका देख/डाउनलोड/प्रिन्ट कर सकता है।
7. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम (13) (5) के प्रावधान अनुसार संवीक्षा में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनःजांच (Re-examination) करना समाविष्ट नहीं है। संवीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अन्दर-बाहर (केजिंग) में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिये गये हों, उत्तर पुस्तिका/अंकतालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। परन्तु उक्त विनियम में संशोधन कर वर्ष-2025 की माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में पुनःजांच (Re-examination) कराने का प्रावधान किया गया है।
8. अन्तिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को क्रमबद्ध कर पंजीकरण कर SMS द्वारा उसके प्रार्थना-पत्र में अंकित मोबाईल पर पंजीकरण संख्या एवं आवेदित विषयों की सूचना एक सप्ताह में दी जावेगी। नियत प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिदिन निस्तारित आवेदन पत्रों का परिणाम/आवेदित विषय की उत्तर-पुस्तिका बोर्ड वेबसाइट पर दिये लिंक 'SCRUTINY 2025' पर अपलोड कर आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल पर SMS द्वारा 'Password' उपलब्ध करवाया जावेगा जिससे परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका 05 दिवस में bsercopy.online.in पर ऑनलाईन देख/डाउनलोड/प्रिन्ट कर सकेंगे। 05 दिवस पश्चात् उत्तर-पुस्तिका हटा ली जावेगी।

9. प्रत्येक परीक्षार्थी एक मोबाईल नम्बर व ई-मेल को एक बार उपयोग कर सकता है। दूसरे आवेदन पत्र में स्वीकार्य नहीं होगा। अतः परीक्षार्थी अपना सही मोबाईल नम्बर व ई-मेल अंकित करे ताकि परिणाम प्राप्त करने में सुविधा हो। गलत मोबाईल नम्बर व ई-मेल अंकित करने पर होने वाले परिणाम अथवा परिणाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ई-मित्र कियोस्क धारक का मोबाईल/ई-मेल अंकित करना अनुचित एवं नियम विरुद्ध माना जावेगा।
10. उत्तर-पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाईन प्राप्त होने के बाद यदि परीक्षार्थी को संवीक्षा नियमान्तर्गत आपत्ति हो तो 100/-रुपये शुल्क प्रति विषय (परीक्षार्थी एक या एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकता है परन्तु परीक्षार्थी को एक अवसर ही प्राप्त होगा)। 05 दिवस में निर्धारित विवरण/प्रमाण के साथ ऑनलाईन आपत्ति निकटतम ई-मित्र केन्द्र पर ऑनलाईन प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि 05 दिन पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। परीक्षार्थी से प्राप्त आपत्ति को आपत्ति निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाकर संवीक्षा नियमान्तर्गत निस्तारण किया जायेगा जिसकी सूचना परीक्षार्थी के मोबाईल पर ऑनलाईन भेजी जावेगी। आपत्ति सम्पूर्ण तथ्यों/आधारों/विवरण/प्रमाण सहित प्रस्तुत की जावे। अपूर्ण विवरण/प्रमाण होने पर परीक्षार्थी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। आवेदक की आपत्ति पर बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र अजमेर होगा। डाक से आपत्ति प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
11. वर्ष-2025 में माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में पुनःजांच (Re-Examination) का प्रावधान किया गया है। परीक्षार्थी गणित विषय में संवीक्षा उपरान्त आपत्ति/पुनःजांच (Re-Examination) करवा सकता है। आपत्ति शुल्क रुपये 100/- प्रति विषय तथा पुनःजांच (Re-Examination) शुल्क रुपये 100/- प्रति प्रश्न रहेगा। पुनःजांच (Re-Examination) हेतु आवेदन पत्र में प्रश्न संख्या व पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। संवीक्षा परिणाम के SMS/E-mail भेजने की तिथि से 05 दिवस की निर्धारित अवधि में ही आपत्ति/पुनःजांच (Re-Examination) हेतु ऑनलाईन ही आवेदन किये जा सकेंगे। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
12. माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय की पुनःजांच के पश्चात् बोर्ड द्वारा प्रदत्त अंक ही अन्तिम एवं मान्य होंगे, इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं होगी।
13. उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध होने पर ही आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जावेगी। यदि कतिपय कारण से उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध नहीं हुई तो कार्य समाप्ति पर प्राप्त शुल्क अथवा आंशिक उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने पर आंशिक प्राप्त शुल्क लौटा दिया जावेगा। इस हेतु आवेदक किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा। परीक्षार्थी को आवेदित विषयों की उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध कराई जावेगी। अतः परीक्षार्थी विषयों का चयन ध्यानपूर्वक करें। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। इसी प्रकार परिणाम आदि कार्यवाही में यथोचित समय लगना स्वाभाविक हैं अतः समय अवधि के लिए कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
14. संवीक्षा उपरान्त आवेदित विषय/विषयों में अंक परिवर्तन होने अथवा नहीं होने की किसी भी स्थिति में संवीक्षा प्रक्रिया शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
15. परीक्षार्थी/अभिभावक को जानकारी के लिए यह भी सूचित किया जाता है कि संवीक्षा/आपत्ति/पुनःजांच (Re-examination) में अंकों में वृद्धि होने पर अंकों में वृद्धि की जाएगी अथवा अंकों में कमी होने पर अंकों में कमी भी की जाएगी एवं तदनुसार जारी अंकतालिका मान्य व प्रभावी होगी।
16. यदि परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम पूरक परीक्षा के योग्य घोषित है तो उसके द्वारा पूरक परीक्षा के लिये (संवीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किये बगैर) आगामी परीक्षा/प्रवेश/अन्य निर्धारित अवधि में आवेदन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार की कार्यवाही उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण के प्रकरण में भी की जानी चाहिए।
17. प्राप्त आवेदनों का निस्तारण प्रक्रियानुसार कमबद्ध/परीक्षावार किया जावेगा इसमें लगने वाले यथोचित समय/विलम्ब अथवा अन्य प्रभाव के लिये आवेदक किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा।

सचिव